

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-12)विभाग

क्रमांक : प.1(1)गृह-12 / कारा / 2018

जयपुर, दिनांक 22.02.2019

:: आदेश ::

राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 23 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2018 में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की नियमित डीपीसी हेतु की गई अभिशंषा के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में उप महानिरीक्षक कारागार से निम्नांकित अधिकारियों का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री ए.आर. नियाजी	2014-15	सेवानिवृत दिनांक 30.09.2015
2	श्री विक्रम सिंह कर्णावत	2015-16	-

उक्त अधिकारियों को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का नोशनल लाभ लाभ देय होगा एवं महानिरीक्षक कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा।

आज्ञा से,

८०

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मानो मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिओ मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, गृह विभाग।
5. संबंधित अधिकारी।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

मेरा
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.1(1)गृह-12 / कारा / 2018

जयपुर, दिनांक 22.02.2019

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा श्री विक्रम सिंह कर्णावत की पदोन्नति महानिरीक्षक कारागार के पद पर होने के फलस्वरूप श्री कर्णावत का पदरक्षापन महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर के पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

आज्ञा से,


(कैलाश चन्द्र)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
5. श्री विक्रम सिंह कर्णावत, उपमहानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवीन पदरक्षापन पर अविलम्ब कार्यग्रहण करे।
6. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव